न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—336/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/336)

1. नारायण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सूरजपुरा जनसेवा तहसील मेजमाबाद जिला जयपुर
2. नंदा पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सूरजपुरा सेवा तहसील मेजमाबाद जिला जयपुर

बनाम अपीलांटस

1. रोडू पुत्र भूरा जाति जाट निवासी सूरजपुरा सेवा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
2. रंगलाल पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी सूरजपुरा सेवा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
3. हरजी पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी सूरजपुरा सेवा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक वर्तमान मरूधरा बैंक शाखा सेवा तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा दूदू जिला जयपुर
6. तहसीलदार मोजमाबाद जिला जयपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2022 सहायक कलक्टर, दूदू जिला जयपुर राजस्व वाद संख्या 164/2015

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक व शिव प्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विनोद जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट सांख्या 02.
3. श्री वी.एल.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06.
5. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 5 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—13.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट बाबत इस तकरार हक तकासमा

Scanned with CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया और निवेदन किया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई दिनांक 16.6.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील हाजिर हुए दिनांक 31.7.2019 को 1 लगायत 3 की आरे से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ दिनांक 19.1.2021 को तनकी कायम की गई उसके पश्चात दिनांक 1.2.2022 को गवाह प्रस्तुत की जिनसे दिनांक 15.3.2022 को वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई उसके पश्चात दिनांक 10.3.2022 को रेस्पोडेंट ओर से गवाह का शपथ पत्र प्रस्तुत हुए जिन पर बयान लिए गए उसके पश्चात बहस सुनी गई लेकिन विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना एवं साक्ष्य कराए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखावट बंटवारा दिनांक 6.7.1981 प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तनकी कायम की जाकर तनकी का विस्तृत विवेचन विश्लेषण किया जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाए निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में यह कथन अंकित किए थे कि उन्हें वर्ष 1981 में ही हमारे बीच मौखिक बंटवारा हो गया था जिसके आधार पर तनकी कायम की जाकर तनकी का विस्तृत विवेचन विश्लेषण किया जाकर निर्णय एवं डिक्री प्यारित किया जाना चाहिए था लेकिन बिना विवेचन प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि प्रकरण के मध्य बहामी बंटवारा मौखिक और लिखित हो चुका है जो वाद पत्र के साथ नक्शा पेश किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का बाई मीटस एंड बोण्डस के आधार पर बंटवारे नामें को दरकिनार कर बिना तनकी कायम किए कानूनी प्रावधान के विपरीत प्राथमिक डिक्री जारी की है जो पूर्णतया अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दादरसी चाही थी परंतु पत्रावली पर दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकी कायम किया जाना चाहिए था साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेशात्मक प्रावधानों के तहत तनकी कायम की जाकर तथा पक्षकारों के बयान लेख बंद किए जाने के पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय डिक्री पारित किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के बिना प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 में प्राविधिक प्रावधानों के अनुसार दावा एवं जवाबदावा के आधार पर विवादित बिंदु निर्धारित करने के पश्चात ही उन पर साक्ष्य लेख पढकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की हिस्से तय नहीं किए गए है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व लिखने में कहीं भी यह अंकित नहीं

Scanned with CamScanner

किया गया है कि विवादित आराजी में किस का कितना हिस्सा रहेगा जबकि प्राथमिक डिक्री में सम्पूर्ण पक्षकारों के हिस्से का अंकन किया जाना अति आवश्यक है,जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में अंकित नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है उक्त भूमि उनके बुजुर्गो की पैतृक भूमि है जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसके बाबत आज तक कभी विवाद नहीं हुआ विवादग्रस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त कब्जे की भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है लेकिन विवादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि भी पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त की है जिसमें भी पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज है जिसका भी विधिवत विभाजन नहीं हो रखा हैं स्व0 रामचंद्र एवं श्योकरण द्वारा अपने जीवनकाल में आराजीयात का कोई बंटवारा दिनांक 6.7.1981 को नही किया जब पक्षकारान या उनके पिता के द्वारा कोई बंटवारा ही नहीं किया तो बंटवारा अनुसार काबिज काश्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण ने दिनांक 06.07.1981 को बंटवारा होना बताया है जिसमें वादीगण ने बंटवारा में यह कही नहीं बताया कि कौन सा खसरा नम्बर किस पक्षकारान के बंटवारा में आया था और न उक्त दिनांक 6.7.1981 का कोई बंटवारा किया गया है यदि इस प्रकार का कोई बंटवारनामा भी है तो वह फर्जी रूप से वादीगण के द्वारा तैयार करवाया गया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा मात्र अपनी मनमर्जी से बंटवारा बताते हुए उक्त वाद पेश किया है जबकि पक्षकारान संयुक्त रूप से आपसी सहमति से आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसका कोई विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है। वर्ष 1981 के पक्षकारान के मध्य या उनके बुजुर्गो के मध्य जब कोई बंटवारा ही नहीं हुआ तो उनकी पालना किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण के द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से में भूमि विभाजन मे आना बताकर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है और प्रतिवादीगण जो सह–खातेदार है उन्हे उनके हिस्से से बेदखल करना चाहते है जबकि पक्षकारान संयुक्त रूप से अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्से पर आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार विधिवत विभाजन किया जावें अर्थात अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (बाई मीट्स एण्ड बाण्ड्स)के आधार पर विधिवत बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बाबत् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01लगायत 3 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के अनुसार तकसमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की त्रूटि कारित नहीं की है, यदि वादीगण/अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत करतें, किन्तु वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार कानूनी बल नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है,

Scanned with CamScanner

जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर.बी.जे. 1996(3) पेज 58, आर.आर.डी. 2015 पेज 449, आर.आर.डी. 2001 पेज 322, आर.आर.डी. 2000 पेज 453.

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा का है, घोषणा करके बंटवारा किया जाना था। पहली तनकीयात दिनांक 06.07.1981 के आधार पर बंटवारा किये जाने से सम्बन्धित थी। चूँकि इस तनकी की विस्तृत विवेचना यदि विचारण न्यायालय द्वारा की जाती तो सर्वप्रथम उसे उद्घोषणा का बिन्दू तय करके, तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री के आदेश करने थे विचारण न्यायालय को तनकी को केन्द्र बिन्दू मानते हुए या तो वाद–पत्र में धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् घोषणा करनी थी अथवा घोषणा की प्लीडिंग को खारिज करते हुए ही डिक्री बनाई जानी थी, परन्तु विचारण न्यायालय ने बंटवारानामा जो कि प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने निष्पादित किया है, उसकी वैधता/अवैधता की विवेचना किये बिना दावा डिक्री किया गया जो कि विधि अनुसार उचित नही है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत् अनरजिस्टर्ड दस्तावेज भी द्वितीय श्रेणी दस्तावेजी साक्ष्यी माने जाते है। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया था तो सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेशात्मक प्रावधानो के तहत् तनकी कायम की जा कर तथा तनकी पर साक्ष्य ग्रहण की जाकर, दावे का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.10.2022 को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण कर उद्घोषणा का बिन्दू तय करते हुए, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा वाद संख्या 164/2015 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त उल्लेखित Observations के क्रम मे दिए गए निर्देशों की पालना में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित कर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner